प्रेस नोट 30.10.2020

मुख्तार अंसारी गिरोह आईएस 191 के अत्यंत नजदीकी व मन्ना सिंह हत्याकांड में सह–अभियुक्त, कोयला माफिया व त्रिदेव ग्रुप के मालिक उमेश सिंह की लगभग 300 टन कोयला कीमत 25 लाख 50 हजार रूपये 14(1) गैंगस्टर एक्ट की तहत मऊ पुलिस द्वारा जब्त–

जनपद मऊ पुलिस के द्वारा आपराधिक माफिया व उनके गुर्गों के विरुद्ध प्रचलित कार्यवाही के क्रम में आज 30–10–2020 को मुख्तार अंसारी गिरोह आईएस 191 के अत्यंत नजदीकी व मुख्तार अंसारी के साथ मन्ना सिंह हत्याकांड 2009 में सह अभियुक्त रहे त्रिदेव कंस्ट्रक्शन/त्रिदेव कोल डिपो/त्रिदेव ग्रुप के मालिक कोयला माफिया उमेश सिंह पुत्र रामवृक्ष सिंह निवासी अहिलाद जनपद मऊ की लगभग 300 टन कोयला (कीमत 25 लाख, 50 हजार रूपये) 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत की जब्त की गई है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 23–10–2020 को मौजा अदरी तहसील सदर में आराजी नं0 694 में 56 कड़ी, आराजी नं0 699 में 1.67 कड़ी, आराजी 283 में 94.3 कड़ी व आराजी नं0 184 में 61.3 कड़ी कुल चार गाटा में रकबा 213.3 कड़ी जमीन का मूल्य लगभग 10 लाख 36 हजार 200 रुपये व उसमें निर्मित तीन कमरे (कोल डिपो हेतु) का 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्तीकरण की कार्यवाही की जा चुकी है। उक्त कोल डिपो में रखा गया लगभग 300 टन कोयला कीमत 25 लाख 50 हजार रूपये आज 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया गया है।

पूर्व में उक्त कोयला माफिया उमेश सिंह की, धारा 14(1)गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत कुल कीमत 06 करोड़ 67 लाख 36 हजार 200 रूपये की सम्पत्ति जब्त की जा चुकी है जिसका विवरण–

1–(अनुमानित कीमत 5.5 करोड़ रूपये) 3400 वर्ग मीटर भूखण्ड व उस भूखण्ड पर निर्मित शॉपिंग मालध्काम्पलेक्स

2–01 करोड़ रूपये मूल्य की 08 वाहनों (फोर्ड एनडेवर–01, हुंडई क्रेटा–02, इंडिका–01, ट्रक–01, मोटरसाइकिल–03)

3–मौजा अदरी तहसील सदर में आराजी नं0 694 में 56 कड़ी, आराजी नं0 699 में 1.67 कड़ी, आराजी 283 में 94.3 कड़ी व आराजी नं0 184 में 61.3 कड़ी कुल चार गाटा में रकबा 213.3 कड़ी जमीन एवं निर्मित मकान जिसकी कुल अनुमानित कीमत 17 लाख 36 हजार 200 रुपये।

इस प्रकार उक्त उमेश सिंह की अब तक कुल लगभग 06 करोड़ 92 लाख 86 हजार 200 कीमत की चल/अचल सम्पत्ति जब्त कराई गई है।

इनके द्वारा माफिया से संबंध का लाभ उठाते हुए अपराध कारित करते हुए अर्जित की गई संपत्ति की जांच विभिन्न विभागों व एजेंसियों के माध्यम से भी कराई जा रही है।

इस अभियान में विगत लगभग 04 महीनों में मऊ पुलिस द्वारा गैंग संचालित करने वाले माफिया तत्वों के विरुद्ध 14(1) गैंगस्टर एक्ट में लगभग 21 करोड़ 80 लाख 36 हजार मूल्य की चलध्अचल सम्पत्ति जब्त कराई जा चुकी है।

प्रतिबन्धित मांस के साथ 02 शातिर गिरफ्तार–

दिनांक 29.10.2020 को थाना **घोसी** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान रेलवे क्रासिंग बड़ागांव के पास से महफूज आलम पुत्र इश्राइल कुरैसी, मो0 आलम निवासीगण करीमुद्दीनपुर थाना घोसी मऊ के कब्जे से 20 किलों प्रतिबन्धित मांस बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 880/20 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

सोशल मीडिया पर जाती विषेश पर अभद्र टिप्पडी करने वाला गिरफ्तार–

आज दिनांक 30.10.2020 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **घोसी** पुलिस द्वारा, सोशल मीडिया पर जाती विषेश पर अभद्र टिप्पड़ी करने मामले में पंजीकृत मु0अ0सं0 882/20 धारा 504,506 भादवि0 व 67 आइटी एक्ट में वांछित अभियुक्त सोनू कुमार पुत्र हरेन्द्र कुमार निवासी करमा महरोपुर थाना घोसी मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

25 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब के साथ तीन गिरफ्तार–

दिनांक 29.10.2020 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना कोपागंज पुलिस द्वारा रईसा के पास राजू गौतम पुत्र मून्नर राम, अवधेश पुत्र रामप्रसाद निवासीगण कसारा थाना कोपागंज दोनों के कब्जे से 10–10 लीटर, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा गोरादरी के पास से रंगीला यादव पुत्र पलटु निवासी बनकटा थाना मुहम्मदाबाद मऊ के कब्जे से 05 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बारमद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर सम्बन्धित अभियोगों में धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 30.10.2020 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 272/20 धारा 363,366,376 भादवि0 व 3/4 पोक्सों एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त मनीष पुत्र योगेन्द्र शर्मा निवासी भरनहाकचक तथा मु0अ0सं0 667/20 धारा 363,366,504 भादवि0 में वांछित अभियुक्त योगेन्द्र पुत्र बसन्त निवासी ककराडीह थाना मधुबन मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 26 व्यक्ति गिरफ्तार–

आज दिनांक 30.10.2020 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **दोहरीघाट** पुलिस द्वारा संजय पाल, सुनील पाल, रमाशंकर निवासीगण गोठा थाना दोहरीघाट, थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा पंकज, घूपचन्द्र, रितेश, शैलेश निवासीगण नसीराबाद, ओमप्रकाश निवासी बलौआ थाना हलधरपुर, थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा लोहा, प्रभुनाथ निवासीगण अब्बुपुर, रमेश निवासी मो0पुर इन्दारा, हरेन्द्र निवासी खजुरी थाना कोपागंज, थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा अभिजीत निवासी शहादतपुरा, श्यामनरायण निवासी परदहा थाना कोतवाली, थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा इन्द्रेस राणाप्रताप निवासीगण थाना मधुबन, थाना **मुहम्मदाबाद** पुलिस द्वारा इश्वरचन्द्र परिक्षीत निवासीगण बारा थाना मुहम्मदाबाद, थाना **रानीपुर** पुलिस द्वारा सम्भू, उपेन्द्र निवासीगण फतेहपुर थाना रानीपुर, थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा मनोज, विनोद, राजेन्द्र, रामजी निवासीगण सरवा थाना सरायलखंसी मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।